



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट

Regional Office, Rajkot

पट्टे(लीज) के आधार पर परिसर अधिग्रहण के लिए निविदा दस्तावेज

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का राजकोट क्षेत्रीय कार्यालय, रावकी (तालुका- लोदीका, जिला- राजकोट) मे अपनी नई शाखा खोलने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर 800- 1000 (+ 20%) वर्ग फीट कार्पेट फ्लोर एरिया के लिए दीर्घकालिक पट्टे(लीज) के आधार पर उपयुक्त परिसर के लिए, इच्छुक मालिकों / पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित करता है, जिसमें परिसर में उचित प्रवेश और 30 केवीए बिजली कनेक्शन और बैंक स्टाफ तथा ग्राहकों के वाहनों के लिए पार्किंग सहित सभी सुविधाएं हों।

तकनीकी बोली और वित्तीय बोली प्रारूप बैंक की वेबसाइट www.centralbank.bank.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

पूर्व योग्यता के लिए न्यूनतम मानदंड निम्नानुसार होंगे:

क .आवेदक परिसर का वास्तविक स्वामी या पावर ऑफ अटॉर्नी धारक होना चाहिए।

ख .आवेदक आयकर निर्धारित होना चाहिए, उसके पास पैन नंबर होना चाहिए तथा उसका कर रिटर्न अद्यतन होना चाहिए।

ग .भवन का निर्माण सक्षम विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। भवन का रखरखाव अच्छा होना चाहिए और वह 10 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

घ .परिसर अच्छे आवासीय/व्यावसायिक इलाके में भूतल पर स्थित होना चाहिए, जहां उचित पहुंच और पार्किंग की व्यवस्था हो।

ङ .भवन विशेष खतरों जैसे आग, जलभराव, बाढ़ आदि से मुक्त होना चाहिए।

च .परिसर में चौबीसों घंटे पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध होनी चाहिए तथा स्थानीय नगरपालिका प्राधिकारियों से उचित अनुमोदन/अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

छ .मकान मालिक को नगर पालिका, निगम/स्थानीय प्राधिकरण के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों के सभी बकाया और अन्य वैधानिक दायित्वों का भुगतान करना होगा।

ज .परिसर को पट्टे पर देने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से प्राप्त परिसर का अधिभोग प्रमाण पत्र) अपार्टमेंट के मामले में) उपलब्ध होना चाहिए।

झ. मकान मालिक बैंक द्वारा अपेक्षित आवश्यक परिवर्तन/संशोधन करने के तुरंत बाद खाली परिसर का कब्जा देने की स्थिति में होना चाहिए।

1. निविदाएं प्रस्तुत करने की विधि : निविदाएं केवल सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए और निजी एवं गोपनीय के रूप में चिह्नित की जानी चाहिए।

क्षेत्रीय कार्यालय , प्रथम तल बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, जुबिली गार्डन के सामने , राजकोट 360001 (राजकोट)
दूरभाष/फैक्स 0281- 2226931/2224979, मो96876900:नं.84 ,ई-मेल: gadrajcro@centralbank.co.in

www.centralbankofindia.co.in





सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट

Regional Office, Rajkot

टेंडर कवर के तीन भाग होंगे।

पहला लिफाफा - तकनीकी बोली लिफाफा - इस लिफाफे में आवेदन का भाग I, बोलीदाता/उम्मीदवारों द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए, साथ ही आवश्यक संलग्नक भी होने चाहिए। लिफाफा बंद और सीलबंद होना चाहिए और उस पर "तकनीकी बोली संलग्न अनुलग्नक-ए के अनुसार "रावकी शाखा" लिखा होना चाहिए, और लिफाफे पर बोलीदाता का नाम और पता भी लिखा होना चाहिए।

दूसरा लिफाफा - वित्तीय बोली लिफाफा - इस लिफाफे में आवेदन का भाग II होना चाहिए और सभी पृष्ठों पर बोलीदाता/ओं के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह लिफाफा बंद और सीलबंद होना चाहिए और उस पर "रावकी शाखा के लिए वित्तीय बोली संलग्न अनुलग्नक-बी के अनुसार लिखा होना चाहिए। इस लिफाफे पर बोलीदाता/ओं का नाम और पता भी लिखा होना चाहिए।

तीसरा लिफाफा - पहले और दूसरे दोनों लिफाफे को तीसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए और उस पर "रावकी शाखा" लिखा होना चाहिए तथा उसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, व्यापार सहायता विभाग, प्रथम तल, बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, जुबिली बाग के सामने, राजकोट 360001 के पते पर भेजा जाना चाहिए।

2. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि : 31/07/2026 सायं 6.00 बजे तक।

3. निविदा जमा करने का स्थान :

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय कार्यालय,
बीएसडी विभाग, प्रथम तल,
बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, जुबिली बाग के सामने, राजकोट-360001

4. निविदाए (तकनीकी बोली) क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट में 03 /08 /2026 को 11:30 बजे या बैंक द्वारा निर्धारित किसी भी तिथि पर खोली जाएंगी।

5. बोलीदाता को यह सुनिश्चित करना होगा कि निविदा बैंक को निर्दिष्ट तिथि और समय से पहले प्राप्त हो जाए और डाक या किसी भी प्रकार की देरी के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा। निर्दिष्ट तिथि और समय के बाद प्राप्त निविदाएँ अस्वीकार की जा सकती हैं और इसका निर्णय बैंक के पूर्ण विवेक पर होगा।

6. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और साथ ही किसी भी तकनीकी रूप से उपयुक्त बोलीदाता/ओं को ऑर्डर देने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है, जो कि सबसे कम बोलीदाता न हो, जैसा कि बैंक उचित समझे।

7. केवल बिना शर्त निविदाएँ ही स्वीकार की जाएंगी। कोई भी सशर्त निविदा अस्वीकृत की जा सकती है। कोई भी बोलीदाता जो वित्तीय निहितार्थ वाली कोई भी शर्त लगाना चाहता है, उसे निविदा को उचित रूप से लोड करना चाहिए और निविदा में कोई भी शर्त नहीं रखनी चाहिए।



क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, जुबिली गार्डन के सामने, राजकोट 360001

दूरभाष/फैक्स 0281- 2226931/2224979, मो96876900; नं.84, ई-मेल: gadrajcro@centralbank.co.in

www.centralbankofindia.co.in



सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911



क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट

Regional Office, Rajkot

8. बैंक अपनी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी बोली निविदा में दी गई जानकारी के आधार पर प्रस्तावों को सूचीबद्ध करेगा, जैसे प्रस्तावित साइट का स्थान, प्रस्तावित परिसर का क्षेत्र, मुख्य सड़क से पहुंच, प्रदान की गई पार्किंग स्थान, सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचे (जैसे लिफ्ट, बैंकअप डीजी सेट आदि) तथा अन्य आवश्यक आवश्यकताएं जो तकनीकी बोली में बताई गई हैं।
9. तकनीकी बोली के आधार पर प्रस्तावों की चयनित सूची बनाने के बाद वित्तीय बोली खोली जाएगी। वित्तीय बोली केवल उन्हीं चयनित सूची वाले प्रस्तावों के लिए भविष्य में खोली जाएगी और चयनित सूची वाले बोलीदाताओं को बाद में सूचित किया जाएगा।
10. संभावित प्रस्ताव के चयन पर बैंक का निर्णय अंतिम होगा।
11. विवाद की स्थिति में बैंक का निर्णय अंतिम एवं सभी पर बाध्यकारी होगा।
12. किराया : बैंक मकान मालिक से कब्जा लेने की तारीख से किराया देना शुरू कर देगा। कब्जा लेने से पहले, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मकान मालिक ने उपयुक्त प्राधिकारियों से आवश्यक अधिभोग) कब्जा (प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और मकान मालिक द्वारा किए जाने वाले परिवर्तन वास्तव में बैंक की संतुष्टि के अनुसार किए गए हैं। परिसर का संयुक्त माप फर्श क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाएगा।
13. पट्टा दस्तावेजों का निष्पादन : बैंक द्वारा परिसर को पट्टे (लीज) पर लेने के बाद, बैंक के मानक पट्टा प्रारूप के अनुसार पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा और उसे उपयुक्त प्राधिकारियों के पास पंजीकृत कराया जाएगा। पंजीकरण से संबंधित स्टाम्प शुल्क मकान मालिक और बैंक द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा।
14. वित्तीय बोली में उद्धृत दरों में सभी प्रकार के कर शामिल होने चाहिए। नगरपालिका कर और अन्य सभी प्रकार के कर मकान मालिक द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि भविष्य में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण कोई अतिरिक्त कर लगाते हैं, तो उसका भुगतान भी मकान मालिक द्वारा ही किया जाएगा। बैंक केवल किराया और किराया पर लगने वाली जीएसटी का भुगतान करेगा।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए

(मुकेश यादव)

क्षेत्रीय प्रमुख,
क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट
दिनांक : 09/07/2026



14

क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम तल बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, जुबिली गार्डन के सामने, राजकोट 360001 (गुजरात),

दूरभाष/फैक्स 0281- 2226931/2224979, मो96876900; नं.84, ई-मेल: gadrajko@centralbank.co.in

www.centralbankofindia.co.in